

तारीख हुकम

हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 322/2019 अनवान डालूराम बनाम वीराराम

नम्बर व
तारीखअहकाम जो
इस हुकम की
तामील मे जारी
हुए


15/12/20

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नॉटिस तामिल की श्रेणी में प्राप्त हो चुके हैं। आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध इकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण मौजा आदर्श सनावड़ा पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 920/506 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 926/510 रकबा 21.19 बीघा, खसरा संख्या 927/510 रकबा 17.01 बीघा, खसरा संख्या 929/510 रकबा 0.11 बीघा व खसरा संख्या 930/668 रकबा 16.10 बीघा कुल रकबा 56.10 बीघा भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार हैं।

वकील प्रार्थीगण को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा आदर्श सनावड़ा पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 920/506 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 926/510 रकबा 21.19 बीघा, खसरा संख्या 927/510 रकबा 17.01 बीघा, खसरा संख्या 929/510 रकबा 0.11 बीघा व खसरा संख्या 930/668 रकबा 16.10 बीघा कुल रकबा 56.10 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीशनर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त कार्रवाई प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीशनर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर इतिहास दफतर हो।


उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

क्रमांक रीडर/2020/ 2700
प्रार्थीगण

पीठासीन अधिकारी-श्री रोहित चौहान, आर.ए.एस

1 डालुराम 2 रेखाराम पिसरान गुमनाराम
3 रूखीदेवी पत्नी पोकरराम 4 गणेश 5
भंवराराम पिसरान पोकरराम 6 धर्मी पुत्री
पोकरराम (प्रार्थी संख्या 04 से 06
नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता
प्रार्थी संख्या 03 रूखीदेवी) जाति जाट
निवासी आदर्श सनावड़ा तहसील व जिला
बाड़मेर।

बनाम

दिनांक - 16.12.20

अप्रार्थीगण

1 वीराराम पुत्र हेमाराम 2 देवाराम पुत्र
कुम्भाराम 3 जोगाराम पुत्र सोनाराम जाति
जाट 4 मेघसिंह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत
निवासी आदर्श सनावड़ा 5 गेमराराम पुत्र
जवाराराम जाति मेघवाल निवासी मेघवाल का
तला सनावड़ा 6 रामाराम पुत्र रूपाराम जाति
जाट निवासी आदर्श सनावड़ा तहसील व
जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 322/2019

दिनांक- 15/12/20

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आदर्श सनावड़ा पटवार क्षेत्र जाखड़ों की ढाणी तहसील व
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 920/506 रकबा 0.09 बीघा, खसरा संख्या 926/510 रकबा
21.19 बीघा, खसरा संख्या 927/510 रकबा 17.01 बीघा, खसरा संख्या 929/510 रकबा 0.
11 बीघा व खसरा संख्या 930/668 रकबा 16.10 बीघा कुल रकबा 56.10 बीघा भूमि के चारो
तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर
नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर
सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992
के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके
पर अदा किया जावेगा।




(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2020/ 2701-04

दिनांक- 16.12.20

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी जाखड़ों की ढाणी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. डालुराम पुत्र गुमनाराम वगैराह जाति जाट निवासी आदर्श सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी वीराराम पुत्र हेमाराम वगैराह जाति जाट निवासी आदर्श सनावड़ा तहसील व जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर